संख्याः 432 / XXIII / 08 / 53 / 2008

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर 2008।

विषय :– जनपद उधमसिंहनगर में जिलाधिकारी द्वारा आबंटित भूमि पर आवासीय / कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासकीय / वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 – 267 / XXVII(1) / 2008, दिनांक 27.03.2008 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्याः 1598 / आठ–लेखा / बजट / उ0सि0न0–गोदाम–61 / 2006–07 दिनांकः 21 अगस्त, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार रूद्रपुर, जनपद उधमसिंहनगर में जिलाधिकारी द्वारा आबंटित भूमि पर जिला आबकारी अधिकारी, उधमसिंहनगर के कार्यालय भवन हेतु आगणित धनराशि रू0 58.67 लाख के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गई धनराशि रूपये 57.86 लाख के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 57.86 लाख (रूपये सत्तावन लाख छियासी हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण प्राधिकृत अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव में ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार प्राधिकृत अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य–स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य कर लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

क्रमशः 2

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉकः 31 मार्च, 2009 तक उपभोग कर लिया जाय।

12. कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय एवं व्यय तभी किया जाय जब निर्विवाद भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया हो तथा निर्माण इकाई को निर्माण हेतु नियमानुसार भूमि हस्तगत करा दी गई हो।

13. निर्माण में भूकम्प रोधी तकनीक व डिजायन, ऊर्जा संरक्षण तकनीक/डिजायन तथा वर्षा जन दोहन उपायों का समावेश अवश्य किया जाय।

14. इस सम्बन्ध में होना वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या - 08 के पूँजी लेखा आयोजनेत्तर शीर्षक 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 03-- आबकारी विभाग हेतु अनावासीय/ मालखाना/ बन्धित गोदाम निर्माण, 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-373/NP/वि0 अनु0-5/2008 दिनॉकः 27.10.2008 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः A32 (1)/ XXIII/08/53/2008 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)।
4. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिला आबकारी अधिकारी, उधमसिंहनगर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव

budget